प्रारूप-एक

निम्नानुसार जानकारी पूर्णकर कार्यालय उप नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, महाराज बाड़ा, ग्वालियर (म.प्र.), दूरभाष : 0751-2426356 को भेजा जाए :-

1. आवेदन पत्र पुराने नाम से भेजें।
2. स्थानीय दैनिक समाचार पत्र की सम्पूर्ण प्रति (दो प्रतियों में)।
3. शपथ-पत्र की मूल प्रति।
4. विज्ञप्ति समाचार पत्र के अनुसार स्वच्छ टाईप कराकर तथा उस पर नये, पुराने हस्ताक्षर एवं कोष्टक में नाम लिखकर भेजें जिसका प्रकाशन कराया जाना है।
5. प्रकाशन शुल्क रुपये 400/- चालान (0058-स्टेशनरी एण्ड प्रिंटिंग अदर प्रेस रिसीप्ट) द्वारा जमा कर चालान की मूल प्रति संलग्न करें।
6. आप शासकीय सेवा में सेवारत हैं अथवा नहीं का स्पष्ट उल्लेख करें।
7. यदि आप शासकीय सेवा में सेवारत हैं, तो कृपया पांच रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प बिना क्रास किया हुआ साथ भेजें एवं नाम परिवर्तन सम्बन्धी समस्त जानकारी अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से अनुशंसा सहित भिजवायें।
8. डीड फार्म (प्रारूप-2) को सुस्पष्ट अंकित करें एवं इसको दो राजपत्रित अधिकारियों के हस्ताक्षर मय पद मुद्रा सहित कराकर भेजा जाय।
9. अंक सूची, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, पासपोर्ट एवं मूल निवासी प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराकर भेजा जाय।

प्रारूप-दो

कुलनाम बदलने संबंधी विलेख

इस विलेख द्वारा मैं, निम्न हस्ताक्षरकर्ता, क, ख, ग (नया नाम), निवासी . . . . . .

. . . . . .

जिसे अब तक क, ग (पुराना नाम) कहा जाता था, तथा जो . . . . . .

. . . . . .

(संबंधित शासकीय सेवक द्वारा इस समय धारित पद का नाम) के पद पर नियोजित हूं :-

1. अपने तथा अपनी पत्नी एवं अपने बच्चों और अपनी दूरतर संतान के लिये तथा अपनी ओर उन सबकी ओर से, अपने पूर्व कुलनाम ग (केवल) के उपयोग को पूर्णतः त्यागता हूं, छोड़ता हूं तथा उसका परित्याग करता हूं और उसके स्थान पर इसकी (विलेख की) तारीख से कुलनाम ख, ग अंगीकर करता हूं, जिससे कि मुझे तथा मेरी पत्नी एवं मेरे बच्चों और दूसरी संतान को मेरे द्वारा अंगीकर किये गये कुलनाम ख, ग से ही पुकारा जाय, व जाना जाय, और पहचाना जाय न कि मेरे पूर्व (ग केवल) से।

2. अपने इस निश्चय को प्रकट करने के प्रयोजनार्थ घोषणा करता हूं कि मैं, इसके पश्चात् समस्त समयों पर, समस्त अभिलेखों, विलेखों तथा लेखों में और समस्त कार्यवाहियों, व्यवहारों तथा संव्यवहारों में, चाहे ये प्रायवेट हों या सरकारी हों और समस्त अवसरों पर अपने पूर्व कुलनाम ग (केवल) के स्थान पर तथा उसकी जगह कुलनाम ख, ग का ही उपयोग करूंगा और इसी कुलनाम के हस्ताक्षर करूंगा।

3. समस्त व्यक्तियों को अभिव्यक्त रूप से प्राधिकृत करता हूं तथा उनसे निवेदन करता हूं कि मैं इसके पश्चात् समस्त समयों पर मुझे तथा मेरी पत्नी एवं मेरे बच्चों और मेरी दूरतर संतानों को तद्नुसार ऐसे अंगीकृत कुलनाम से ही नामोविष्ट तथा सम्बोधित करें।

जिससे कि साक्ष्य में मैंने अपने पूर्व तथा अंगीकृत नामों क, ग तथा क, ख, ग से इस पर हस्ताक्षर कर दिये हैं और आज तारीख . . . . . मास . . . . . सन् 20 को अपनी मुद्रा लगा दी है।

अपरिनामित क, ख, ग जिसे पूर्व में क, ग कहा जाता था, द्वारा (ज) की उपस्थिति के हस्ताक्षर किये गये, मुद्रांकित किया गया तथा परिदत्त किया गया।	क, ग क, ख, ग